न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 06/2020

अनवान : —

1. विनोदकुमार पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा। — प्रार्थी

बनाम्

1. सुरेन्द्र पुत्र महावीर जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
2. गोपीराम पुत्र महावीर जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
3. पोनादेवी पुत्री महावीर जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
4. ओमप्रकाश पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
5. पृथ्वी पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
6. देवतराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
7. तोपीदेवी पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
8. कृष्णा पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।

असल अप्रार्थी

9. मांगेराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री मुन्शीराम गोस्वामी प्रार्थी

निर्णय दिनांक: 08/7/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 एसडीआर के खाता सं0 72/99 के मु0न0 48 के किला न0 17, 24 तथा मु0न0 54 के किला न0 4 की 0.759है0 नहरी खातेदारी मे प्रार्थी के नाम 2/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 9 मांगेराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थी के खातेदारी के पास चिपते ही चक 1 एसडीआर के खाता सं0 119/109 के मु0न0 48 के किला न0 18, 23 तथा मु0न0 54 के किला न0 3 की कुल 0.759है0 नहरी खातेदारी अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के दादा एवं अप्रार्थीगण सं0 4 ता 8 के पिता स्व0 हरचन्द के नाम खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी सं0 1 के पिता महावीर की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 8 के नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए मु0न0 54 के किला न0 3 में उतरी तरफ चालू रास्ता को अप्रार्थीगण ने अवरूद्ध करने व रास्ता की जगह पर निर्माण आदि करने की धमकी दी है। इसलिए प्रार्थी विनोदकुमार अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए चक 1 एसडीआर के मु0न0 54 के किला न0 3 मे उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ रास्ता स्वीकृत करवा पाने का कानूनी अधिकारी है जिसकी एवज में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को भूमि के बदले भूमि अर्थात् डीएलसी दर से नकद रूपये देने के लिए तत्पर व तैयार है।

रहा है। तथा प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का काननी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद भी अप्राथीगण हाजिर अदालत नहीं हुए। तहसीदार भादरा द्वारा मौका रिपॉर्ट बनाते समय भी अप्रार्थीगण को सूचित किया गया लेकिन कोई हाजिर नहीं आया। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए प्रस्तावित रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है, मुताबिक तहसीलदार रिपॉर्ट रास्ता स्वीकृत किया जावें ताकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने चक 1 एसडीआर के खाता सं0 72/99 के मु0न0 48 के किला न0 17, 24 तथा मु0न0 54 के किला न0 4 की 0.759है0 नहरी खातेदारी मे प्रार्थी के नाम 2/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 9 मांगेराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए चक 1 एसडीआर के मु0न0 54 के किला न0 3 मे उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। मुताबिक तहसीलदार भादरा रिपॉर्ट प्रस्तावित रास्ता की आवश्यकता प्रार्थी को अत्याधिक है तथा प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे चक 1 एसडीआर के मु0न0 54 के किला न0 3 मे उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ सवा आठ फिट चौड़ा अर्थात् 0.013है0 भूमि रास्ता के रूप में दर्ज करें तथा रास्ता की भूमि के एवज में प्रार्थी की खातेदारी में से भूमि कम की जाकर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 तथा 4 ता 8 के हिस्सा में खातेदारी दर्ज की जावें और यदि विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है तो रास्ता की एवज में भूमि मूल खातेदार के हिस्सा में दर्ज की जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08/7/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ